समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 25 August 2026

कर्नाटक मे कंानून जागरूकता : शिवमोग्गा स्कूलों मे लंीगल क्लबों की शुरुआत

Publisher

Published on 22 Jan 2026

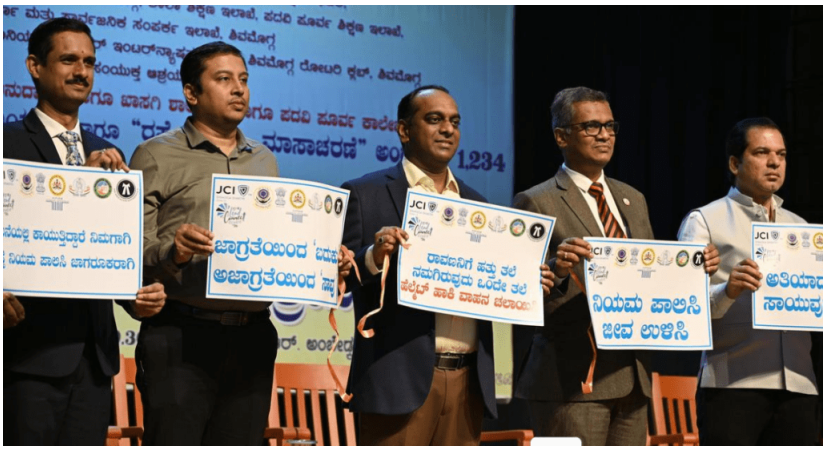

जिला प्रशासन और संबंधित शिक्षा अधिकारियों ने **शिवमोग्गा जिले के 1234 सरकारी और निजी स्कूलों मे 'लीगल लिटरेसी क्लब'** की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों में **कानूनी अधिकारों, संविधान, कर्तव्यों और विधिक प्रक्रियाओं की समझ** बढ़ाना है। यह पहल विशेष रूप से युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

लॉ क्लबों का उद्देश्य और फ़ोकस

लीगल लिटरेसी क्लबों का मुख्य लक्ष्य छात्रों को कानून की मूल बातों से परिचित कराना है, जिसमें शामिल हैं:

- **संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य**
- **सामाजिक न्याय और मानवाधिकार**
- **न्याय प्राप्ति के साधन**
- **किसानों, महिलाओं, बच्चों तथा कमजोर वर्गों के कानूनी संरक्षण**
- **कानून लागू करने वाली प्रक्रियाएँ और सेवाएँ**

ऐसे क्लबों के ज़रिए छात्रों को **न्याय और विधिक सहायता तक पहुँचने** के तरीकों को समझने में मदद मिलती है और वे सामाजिक मुद्दों पर **सोचने और संवाद करने** में सक्षम बनते हैं।

शिक्षा के साथ कानूनी जागरूकता का महत्व

शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि **वास्तविक जीवन की चुनौतियों और**

कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग बनाना है। लीगल लिटरेसी क्लबों का गठन यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र कानून के मूल सिद्धांतों को समझें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका उपयोग कर सकें और अपने समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रमों और गतिविधियों की रूपरेखा

इन क्लबों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं, जैसे कि:

- **लीगल वर्कशॉप और सेमिनार**
- **डिबेट और वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ**
- **निबंध और प्रेजेंटेशन कार्य**
- **कानूनी मुद्दों पर छात्रों के बीच चर्चा सत्र**

इस तरह के सत्रों से छात्रों को **कानून के बुनियादी सिद्धांतों को समझने** का अवसर मिलेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत बनेंगे।

युवा सशक्तिकरण मे भूमिका

लीगल लिटरेसी क्लबों को बच्चों के **युवा नेतृत्व कौशल**, **न्याय प्रणाली की समझ** तथा **समाजिक चेतना** विकसित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे न केवल छात्र स्वयं सशक्त होंगे, बल्कि वे अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देंगे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.